

न्यायालय, समाहता-सह-जला दण्डाधिकार, खगड़िया।


आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....


जिला-खगड़िया.....सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबध में। वाद संख्या:- 13/ 2017 *द्वारा महेशखूंट थाना*

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
22.12.2017	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत महेशखूंट थाना में दर्ज कांड संख्या-125/2017 दिनांक 22.09.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंज्ञा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4289/हि०शा० दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, महेशखूंट का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल-375 एम०एल० का 10 (दस) बोतल एवं 180 एम०एल० का 04 (चार) बोतल विदेशी शराब की कुल मात्रा-375 एम०एल० का 01 (एक) एवं 180 एम०एल० का 01 (एक) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद रसायन निरीक्षक, कुम्हार बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष-375 एम०एल० का 09(नौ) एवं 0180 एम०एल० का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब महेशखूंट थाने के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महेशखूंट थाने के मालखाना में रखी गई कुल-375 एम०एल० का 09 (नौ) एवं 180 एम०एल० का 03(तीन) बोतल विदेशी शराब कुल-3.915 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए महेशखूंट थाना कांड संख्या-125/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-375 एम०एल० का 09 (नौ) एवं 180 एम०एल० का 03 (तीन) बोतल कुल-3.915 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, महेशखूंट/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	
समाहता, खगड़िया।		समाहता, खगड़िया।

27/12/17

डी0 बी0 नं0.....491...../विधि, दिनांक...22/11/2012
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया
/थानाध्यक्ष, महेशखुँट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ
प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की
जाय।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
22/11/12